न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

मु0नं0 दावा 158/2017
तारीख रजू 29.12.2017

उनवान

हंसराज पुत्र रामखिलाडी जाति मीना निवासी डोरावली तहसील टोडाभीम जिला करौली
– वादी

विरूद्ध

1.भौदू पुत्र रामहेत
2.रम्भूलाल पुत्र हीरा
3.रामसिंह पुत्र हट्टी
4.रामचरण पुत्र हट्टी
5.मुकेश पुत्र हट्टी
6.रामप्यारी पत्नी स्व0 हट्टी
7.प्रेमसिंह पुत्र नंदा
8.चतरबाई बेवा नंदा
9.ठण्डी पुत्र मनफूल
10.खिलाडी पुत्र शुक्ला
11.मगन पुत्र शुक्ला
समस्त जाति मीना निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
12.तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली (लैण्ड होल्डर) फारमल पक्षकार
–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् डिविजन ऑफ होल्डिंग (बटवारा)
व स्थाईनिषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 5, 188
राज0टे0एक्ट

उपस्थिति – श्री कृष्ण कुमार मित्तल एडवोकेट –पक्षवादी

निर्णय **दिनांक 16.02.2018**

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

वादी ने एक वादपत्र बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि खसरा नं0 2797 रकवा 1.36 हेक्टयर, 2947 रकवा 2.16 हेक्टयर ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम मे वादी हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार है वकिया हिस्सा के प्रतिवादी नं0 1 ता 11 सहखातेदार है। वादी ने यह भूमि पूर्व खातेदर भौदू पुत्र रामहेत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद की है। रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे नामान्तकरण खुलकर के वादी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई है। वादी उपरोक्त भूमि मे हिस्सा 1/8 पर मौके पर काबिज है तथा भूमि की अलग सीमा बनी हुई है लेकिन रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे सहखातेदारी दर्ज होने के कारण आपस मे विवाद रहता है इसलिये वादी ने दिनांक 20.12.2017 को प्रतिवादीगण सहखातेदारान से निवेदन किया कि तहसील टोडाभीम मे चलकर के अलग खाता व लगान कायम करा लेते है इस पर वे इंकार हो गये इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है और विनायदावा पैदा होता है। सहखातेदार गोपी लाऔलाद फौत हो चुका है उसके कोई पुत्र, पुत्री, पत्नी नही है, उसका खास भाई भौदू ही उसका कायम मुकाम कानूनी वारिस है जो प्रतिवादी नं0 1 पक्षकार है। तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नं0 1 ता 11 बाबत् डिविजन ऑफ होल्डिंग (तकारमा) डिक्रि जाकर किया जाकर भूमि खसरा नं0 2797 रकवा 1.36 हेक्टयर, 2947 रकवा 2. 16 हेक्टयर ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम मे वादी के हिस्सा 1/8 का अलग खाता व लगान कायम किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब कर वादी के हक मे फाईनल डिग्रि प्रदान की जावे।

न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2018 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्रि किया जाकर भूमि खसरा नं0 2797 रकवा 1.36 हेक्टयर, 2947 रकवा 2.16 हेक्टयर ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम मे वादी का हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये मुताबिक जमाबंदी व कब्जा वादी तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम मय ट्रेस के तलब की गई थी। तहसीलदार टोडाभीम ने अपने पत्र दिनांक 15.02.2018 के द्वारा बटवारा स्कीम मय ट्रेस के न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक बटवारा स्कीम भूमि खसरा नं0 2947/1 रकवा 0.44 हेक्टयर ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम वादी के हिस्से मे दी गई है तथा संलग्न ट्रेस मे भी इस भूमि को अलग से दर्शाया गया है। भूमि खसरा नं. 2947 रकवा 1.72 हेक्टयर, 2797 रकवा 1.36 हेक्टयर ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम का बकिया खातेदारान के हिस्से मे मुताबिक बटवारा स्कीम रखी गई है। बटवारा स्कीम पर पक्षकारान व वकील वादी ने कोई ऐतराज नही किया है और कथन किया कि मुताबिक बटवारा

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

स्कीम दावा फाईनल डिकि कर दिया जावे। वादी का दावा फाईनल डिकि योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 ता 11 डिविजन ऑफ होल्डिंग फाईनल डिकि किया जाकर मुताबिक बटवारा स्कीम व ट्रेस भूमि खसरा नं0 2947/1 रकबा 0.44 हेक्टयर ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम वादी हंसराज के हिस्से व खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तथा भूमि खसरा नं. 2947 रकबा 1.72 हेक्टयर, 2797 रकबा 1.36 हेक्टयर ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम का मुताबिक बटवारा स्कीम बकिया खातेदारान का हिस्सा जो बटवारा स्कीम मे दर्ज है उसके अनुसार खातेदार घोषित किये जाते है। उक्त प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे, काश्त मे रूकावट पैदा नही करे। चूकि वादी के हिस्से की भूमि मे बैंक रहन दर्ज नही है तथा नाही वादी ने बैंक से ऋण प्राप्त किया है इसलिये वादी के हिस्से व खातेदारी की भूमि खसरा नं0 2947/1 रकबा 0.44 हेक्टयर ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम पर बैंक रहन का इन्द्राज दर्ज नही किया जावे, अन्य खातेदारान के हिस्से पर पूर्व से दर्ज बैंक रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। निर्णय अनुसार पर्चा फाईनल डिकि जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

Scanned by CamScanner